



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2385]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2019/आषाढ़ 31, 1941

No. 2385]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2019/ASHADHA 31, 1941

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2019

का. आ. 2615(अ).—केन्द्रीय सरकार, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 3) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, लघु व्यापारियों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं लागू होना** .- (1) इस योजना का नाम प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना, 2019 है।
- (2) यह योजना 22 जुलाई, 2019 को प्रवृत्त होगी।
- (3) इस योजना के उपबंधों के अधीन लघु व्यापारियों को 22 जुलाई, 2019 से इस योजना का सदस्य बनने का विकल्प होगा।
- (4) इस योजना के उपबंधों उन लघु व्यापारियों पर लागू होंगे जो स्व-नियोजित हैं तथा दुकान मालिकों, खुदरा व्यापारियों, चावल मिल मालिकों, तेल मिल मालिकों, वर्क-शॉप मालिकों, कमिशन एजेंटों, रियल इस्टेट एजेंटों, लघु होटलों, रेस्तरां के मालिकों और अन्य लघु व्यापारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसे लघु व्यापारियों के प्रचालन सामान्यतः परिवार के स्वामित्व वाले स्थापनों, लघु स्तरीय प्रचालनों, श्रम सघनता, अपर्याप्त वित्तीय सहायता, मौसमी प्रकृति के तथा व्यापक तौर पर अवैतनिक परिवार श्रम की विशेषता लिए हुए होते हैं।

2. परिभाषाएं:- इस योजना में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) “अधिनियम” से असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) अभिप्रेत है;
- (ख) “कॉमन सर्विस सेंटर - स्पेशल पर्पज व्हीकल” राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में ई-शासन को वृहत स्तर पर प्रारंभ करने हेतु सरकार द्वारा मई, 2006 में अनुमोदित राष्ट्रीय ई-शासन योजना (जिसे इसके

पश्चात् “एनईजीपी” कहा गया है) की नीतिगत आधारशिला, कॉमन सर्विस सेंटर - स्पेशल पर्पज व्हीकल (जिसे इसके पश्चात् सीएससी-एसपीवी कहा गया है) अभिप्रेत है। यह इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) जिसमें इसके पश्चात् “एमईआईटीवाई” कहा गया है) के अधीन है। सीएससी-एसपीवी को योजना के अधीन नामांकन अधिकरण के रूप में चुना गया है। सीएससी-एसपीवी देश भर में अपने 3.50 लाख कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से इस योजना के अधीन लाभार्थियों को नामांकित करेंगे;

(ग) “अंशदान” से अभिप्राय इस योजना के साथ संलग्न अंशदान चार्ट में विनिर्दिष्ट रकम से है, जिसका कि पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि में पात्र अभिदाता द्वारा मासिक रूप से भुगतान किया जाना है;

(घ) “पात्र अभिदाता” से अभिप्राय उस लघु व्यापारी से है जो इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र है;

(ङ) “परिवार” से अभिप्राय,-

(i) पुरुष पात्र अभिदाता के मामले में उसकी पत्नी;

(ii) महिला पात्र अभिदाता के मामले में उसका पति;

(च) “लघु व्यापारी” से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो स्व-नियोजित हैं तथा दुकान मालिकों, खुदरा व्यापारियों, चावल मिल मालिकों, तेल मिल मालिकों, वर्कशॉप मालिकों, कमीशन एजेंटों, रियल इस्टेट एजेंटों, छोटे होटलों, रेस्तराओं के मालिक हैं तथा अन्य लघु व्यापारी हैं;

(छ) “भारतीय जीवन बीमा निगम” से अभिप्राय भारतीय जीवन बीमा अधिनियम के अधीन गठित जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने वाले संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम से है। भारतीय जीवन बीमा निगम का पेंशन निधि के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी पेंशन निधि प्रबंधक, केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी तथा पेंशन के भुगतान के लिए उत्तरदायी एजेंसी के रूप में चयन किया गया है।

(ज) “समान अंशदान” से अभिप्राय उस राशि के समान राशि से है जिसका भुगतान पात्र अभिदाता द्वारा किया गया हो, तथा जो पात्र अभिदाता के खाते में केन्द्रीय सरकार द्वारा देय हो।

(झ) “राष्ट्रीय बोर्ड” का वही अर्थ है जो उसे अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में इसे दिया गया है।

(ञ) “पेंशन” से अभिप्राय इस योजना के अधीन पात्र अभिदाता को देय राशि से है;

(ट) “पेंशन निधि प्रबंधक” से अभिप्राय पेंशन निधि के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी अधिकरण, केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग अधिकरण तथा पेंशन के भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकरण से है;

3. पेंशन निधि- (1) केन्द्रीय सरकार इस योजना के प्रयोजनार्थ, सरकार के परामर्श से, जहां भी अपेक्षित हो, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित की जाने वाली पेंशन निधि स्थापित करेगी।

(2) पात्र अभिदाता, जो इस योजना में शामिल होता है, अपनी आय के अनुसार योजना में शामिल होते समय इस योजना में अनुबंध के रूप में संलग्न अंशदान चार्ट में विनिर्दिष्टानुसार, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित पेंशन निधि में अंशदान करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार भी पात्र अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान की राशि के बराबर पेंशन निधि में अंशदान करेगी।

(4) उप-पैरा (1) या उप-पैरा (2) के अधीन देय प्रत्येक अंशदान को पूर्णांकित किया जाएगा ताकि 50 पैसे या अधिक की राशि की गणना अगले उच्च रुपये में की जा सके और 50 पैसे से कम रुपये के अंश को छोड़ दिया जाएगा।

(5) इस स्कीम का बीमांकक मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाएगा। बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर यदि निधि में कोई कमी अथवा अपर्याप्तता आती है तो पेंशन निधि प्रबंधक इस निधि के अंतराल की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार से संपर्क कर सकता है।

4. स्कीम में शामिल होने की पात्रता:- (1) यह स्कीम केवल ऐसे लघु व्यापारियों के लिए होगी जिनका स्व-घोषित वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक न हो और जिनका अपने नाम से बचत बैंक खाता और आधार संख्या हो।

(2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट लघु व्यापारी की आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट लघु व्यापारी इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकते हैं यदि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन योजना या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य-निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में शामिल हैं या वह आयकर निर्धारित है।

5. अंशदान के भुगतान में चूक होने पर नुकसान की वसूली: जब पात्र अभिदाता इस स्कीम के अधीन पैरा-3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि में उसके द्वारा देय किसी भी अंशदान का भुगतान करने में चूक करता है तो उसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज की दर के साथ उसके संपूर्ण बकाया देय का भुगतान करके उसके अंशदान को नियमित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

6. शंकाओं, आदि का समाधान:- यदि कोई शंका उत्पन्न होती है कि क्या कोई लघु व्यापारी इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र अभिदाता होने का हकदार है अथवा नहीं या इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई होती है तो -

(i) ऐसी शंका की स्थिति में, मामले को भारत सरकार के संयुक्त सचिव और श्रम कल्याण महानिदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उनका स्पष्टीकरण अंतिम होगा।

(ii) क्रियान्वयन में ऐसी कठिनाई की दशा में, मामले को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका स्पष्टीकरण अंतिम होगा।

7. पेंशन योजना को छोड़ने पर लाभ:- इस योजना के अधीन इससे बाहर निकालने के उपबंध एवं फायदे निम्नलिखित हैं, अर्थात्:-

(i) किसी पात्र अभिदाता के इस योजना में सम्मिलित होने से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलने की स्थिति में, उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से को इस रकम पर बचत खाता से मिलने वाले ब्याज की दर के साथ लौटाया जाएगा;

(ii) यदि कोई पात्र अभिदाता इस स्कीम में सम्मिलित होने से दस वर्षों अथवा अधिक की अवधि के भीतर परन्तु साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व इस स्कीम से बाहर निकलता है तो उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि से अर्जित की जाने वाली वास्तविक ब्याज रकम में जोड़कर अथवा उस रकम पर बचत खाता से मिलने वाले ब्याज दर जो भी अधिक हो, के साथ लौटाया जाएगा;

(iii) यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका पति/पत्नी तदुपरांत यथाप्रयोज्य नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा स्कीम में बने रहने अथवा पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अर्जित अथवा उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित, जो भी अधिक हो, संचित ब्याज सहित इस अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान का भाग प्राप्त करके इसे छोड़ने का हकदार होगा/होगी ;

(iv) अभिदाता और उसके पति/पत्नी की मृत्यु के पश्चात, यह समग्र राशि निधि में वापस डाल दी जाएगी;

- (v) उपर्युक्त खण्ड (i), (ii) और (iii) के निमित्त छोड़ने के मामले में, सरकार के अंशदान का संचित भाग पेंशन निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा;
- (vi) नामांकन सहित छोड़ने का कोई अन्य उपबंध, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी करके निर्णीत किया जाए।

8. निःशक्तता लाभ – यदि किसी पात्र अंशदाता ने नियमित अंशदान अदा किए हैं और साठ वर्ष की आयु से पहले किसी कारणवश स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है, और इस स्कीम के अंतर्गत अंशदान देते रहने में असमर्थ हो जाता है, तो उसका पति/पत्नी तदुपरांत यथा प्रयोज्य नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा स्कीम में बने रहने अथवा पैरा 3 के उप-पैरा (1) में यथा निर्दिष्ट पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अर्जित अथवा उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित, जो भी अधिक हो, ब्याज सहित इस अभिदाता द्वारा अदा किए गए अंशदान का भाग प्राप्त करके इस स्कीम को छोड़ने का हकदार होगा/होगी।

9. पात्र अंशदाता की मृत्यु पर परिवार को लाभ – पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि किसी पात्र अंशदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति/पत्नी परिवार पेंशन के रूप में इस पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का केवल पचास प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार होगा तथा यह परिवार पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए ही प्रयोज्य होगी।

10. पेंशन का भुगतान - (1) साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इस योजना के अधीन प्रत्येक पात्र अभिदाता सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन तीन हजार रुपये प्राप्त करेगा।

(2) एक बार पात्र अंशदाता अठारह से चालीस वर्ष के बीच की प्रवेश आयु में इस योजना में शामिल हो जाता है, तो ऐसे अंशदाता को साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अंशदान देना होगा और साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, यह अभिदाता पैरा 9 में विनिर्दिष्ट परिवार पेंशन के साथ तीन हजार रुपये की आश्वासित न्यूनतम मासिक पेंशन, जैसा भी मामला हो, पाने का हकदार होगा।

11. स्कीम के अधीन नामांकन: इस स्कीम के अधीन, सीएससी-एसपीवी को नामांकन अधिकरण के रूप में चुना गया है। सीएससी-एसपीवी देशभर में अपने 3.50 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से स्कीम के अधीन लाभार्थी का नामांकन करेगी। प्रत्येक सफल नामांकन के लिए, सरकार सीएससी-एसपीवी को नामांकन प्रभार के रूप में तीस रुपये (अथवा समय-समय पर यथा निर्धारित) का भुगतान करेगी। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) लाभार्थियों से कोई प्रभार नहीं लेगा।

उपबंध

[पैरा 3(2) देखें]

| प्रवेश आयु (वर्ष में) | अधिवर्षिता आयु (वर्ष में) | सदस्यों का मासिक अंशदान (रुपये) | केंद्रीय सरकार का मासिक अंशदान (रुपये) | कुल मासिक अंशदान (रुपये) |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
| 18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
| 19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
| 20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
| 21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
| 22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
| 23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
| 24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
| 25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
| 26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
| 27 | 60 | 90 | 90 | 180 |

| | | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
| 29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
| 30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
| 31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
| 32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
| 33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
| 34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
| 35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
| 36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
| 37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
| 38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
| 39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
| 40 | 60 | 200 | 200 | 400 |

[फा.सं.एम-21015/2/2019-आरडब्ल्यू]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव और महा निदेशक (श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the, 22nd July, 2019

S.O. 2615(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 (33 of 2008), the Central Government hereby makes the following Scheme to provide for old age protection to the Laghu Vyaparis, namely:-

1. Short title, commencement and application. - (1) This Scheme may be called the Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-dhan, Yojana 2019.

(2) It shall come into force on the **22nd day of July, 2019.**

(3) Subject to the provisions of this Scheme, the Laghu Vyaparis have option to become the members of the Scheme, on and from the 22nd day of July, 2019.

(4) The provisions of this Scheme shall apply to the Laghu Vyaparis, who are self-employed and working as shop owners, retail traders, rice mill owners, oil mill owners, workshop owners, commission agents, brokers of real estate, owners of small hotels, restaurants and other Laghu Vyaparis. The operations of such small traders are generally characterized by family owned establishments, small scale of operations, labour intensive, inadequate financial aid, seasonal in nature and extensive unpaid family labour.

2. Definitions.- In this Scheme, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 (33 of 2008);

(b) “Common Service Centre-Special Purpose vehicle” means Common Service Centre- Special Purpose vehicle (herein after referred to as CSC-SPV) a strategic cornerstone of the National e-Governance Plan (hereinafter referred to as “NeGP”), approved by the Government in May 2006, as part of its commitment in the National Common Minimum Programme to introduce e-governance on a massive scale. It is under Ministry of Electronics and Information Technology (MeiTY) (herein after referred to as “MeiTY”). CSC-SPV has been chosen as enrolment agency under the scheme. CSC-SPV through its over 3.50 lakh Common Service Centres across the country will enroll the beneficiary under the scheme;

- (c) “contribution” means the amount specified in the contribution chart appended with this Scheme, to be payable monthly by an eligible subscriber in the pension fund referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3;
- (d) “eligible subscriber” means Laghu Vyapari who is eligible to join this Scheme;
- (e) “family” means,-
- (i) his wife, in the case of male eligible subscriber;
 - (ii) her husband, in the case of a female eligible subscriber;
- (f) “Laghu Vyapari ” means who are self-employed and working as shop owners, retail traders, rice mill owners, oil mill owners, workshop owners, commission agents, brokers of real estate, owners of small hotels, restaurants and other Laghu Vyaparis;
- (g) “Life Insurance Corporation of India” means the Life Insurance Corporation of India constituted under the Life Insurance of India Act, an organisation for offering life insurance coverage. Life Insurance Corporation of India has been chosen as pension fund manager responsible for managing the pension fund, Central Record keeping Agency and responsible for Pension pay out;
- (h) “matching contribution” means the equal amount as contributed by the eligible subscriber, payable by the Central Government to the eligible subscriber’s account;
- (i) “National Board” has the same meaning as assigned to it in clause (d) of section 2 of the Act.
- (j) “pension” means the amount payable under this Scheme to the eligible subscriber
- (k) “pension fund manager ” means agency responsible for managing the pension fund, Central Record keeping Agency and responsible for Pension pay out;

3. Pension Fund.- (1) The Central Government shall for the purposes of this Scheme, establish a Pension Fund to be administered by Life Insurance Corporation of India in consultation, wherever required, with the Government.

(2) The eligible subscriber, who joins the Scheme, shall subscribe to the Pension Fund as determined by the Central Government from time to time at the time of such joining in accordance with the age of the eligible subscriber, as specified in the contribution chart appended as Annexure to this Scheme.

(3) The Central Government shall also contribute to the Pension Fund the equal amount as contributed by an eligible subscriber.

(4) Each contribution payable under sub-paragraph (1) or sub-paragraph (2) shall be rounded off so as to the amount of fifty paise or more shall be counted as the next higher rupee and a fraction of a rupee less than fifty paise shall be ignored.

(5) The actuarial valuation of the scheme shall be undertaken on annual basis and in case of any shortfall or insufficiency in the fund on the basis of actuarial valuation, the pension fund manager may approach the Central Government to fund such gap.

4. Eligibility to join the Scheme.- (1) This Scheme shall be open only to the Laghu Vyapari for joining, whose annual turnover does not exceed Rs 1.5 crore, based on self-declaration, who has a savings bank account in his name and Aadhar number.

(2) The Laghu Vyapari referred to in sub-paragraph (1) shall be not less than eighteen years of age and not exceeding forty years of age.

(3) The Laghu Vyapari referred to in sub-paragraph (1) shall not be eligible to join the Scheme, if he is covered under National Pension Scheme contributed by the Central Government or Employees’ State Insurance Corporation Scheme under the Employees’ State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) or Employees’ Provident Fund Scheme under the Employees’ Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) or he is an income-tax assessee.

5. Recovery of damages for default in payment of contributions.- Where an eligible subscriber makes a default in the payment of any contribution to be payable by him under this Scheme to the Pension Fund referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3, then, he shall be allowed to regularise his contribution by paying his entire outstanding dues, along with interest of the rate as determined by the Government of India in the Ministry of Labour and Employment from time to time.

6. Resolution of doubts, etc.- If any doubt arises as to whether any Laghu Vyapari is entitled to become an eligible subscriber to join this Scheme or any difficulty arises in implementation of this Scheme, then,-

(i) in case of such doubt, the issue shall be referred to the Joint Secretary and Director General Labour Welfare, Government of India in the Ministry of Labour and Employment, New Delhi, whose clarification thereon shall be conclusive; and

(ii) in case of such difficulty in implementation, the issue shall be referred to the Central Government, whose clarification thereon shall be conclusive.

7. Benefits on leaving the Pension Scheme. - The exit provisions and benefits thereunder, of this Scheme are as under, namely:-

- (i) in case an eligible subscriber exits this Scheme within a period of less than ten years from the date of joining the Scheme by him, then the share of contribution by him only will be returned to him with savings bank rate of interest payable thereon;
- (ii) if an eligible subscriber exits after completion of a period of ten years or more from the date of joining the Scheme by him but before his age of sixty years, then his share of contribution only shall be returned to him along with accumulated interest thereon as actually earned by the Pension Fund referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3 or the interest at the savings bank interest rate thereon, whichever is higher;
- (iii) if an eligible subscriber has given regular contributions and died due to any cause, his spouse shall be entitled to continue with the Scheme subsequently by payment of regular contribution as applicable or exit by receiving the share of contribution paid by such subscriber along with accumulated interest, as actually earned thereon by the Pension Fund, referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3 or at the savings bank interest rate thereon, whichever is higher;
- (iv) after death of subscriber and his or her spouse, the corpus shall be credited back to the fund;
- (v) in case of exit on account of clauses (i), (ii) and (iii) above, the accumulated share of Government's contribution shall be credited back to the Pension Fund;
- (vi) any other exit provision, including nomination, as may be decided by the Central Government by issuing instructions from time to time.

8. Benefits on disablement.- If an eligible subscriber has given regular contributions and become permanently disabled due to any cause before attaining his age of sixty years, and is unable to continue under this Scheme, his spouse shall be entitled to continue with the Scheme subsequently by payment of regular contribution as applicable or exit the Scheme by receiving the share of contribution deposited by such subscriber, with interest as actually earned thereon by the Pension Fund, referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3 or the interest at the savings bank interest rate thereon, whichever is higher.

9. Benefits to the family on death of an eligible subscriber.- During the receipt of pension, if an eligible subscriber dies, his spouse shall be only entitled to receive fifty per cent. of the pension received by such eligible subscriber, as family pension and such family pension shall be applicable only to the spouse.

10. Payment of pension.- (1) Each eligible subscriber under this Scheme shall receive assured minimum monthly pension of three thousand rupees after attaining the age of sixty years through Life Insurance Corporation of India.

(2) Once the eligible subscriber joins this Scheme at the entry age between eighteen to forty years, such subscriber has to contribute till attaining the age of sixty years and on attaining his age of sixty years, such subscriber shall be entitled to get the assured minimum monthly pension of three thousand rupees with benefit of family pension specified in paragraph 9, as the case may be.

11. Enrolment under the scheme: Under the scheme, CSC-SPV has been chosen as enrolment agency. CSC-SPV through its over 3.50 lakh common service centres across the country will enrol the beneficiary under the scheme. For each successful enrolment, Government will pay to CSC-SPV Rupees Thirty/- (or as agreed from time to time) as enrolment charge. Common Service Centre (CSC) shall not charge any money from the beneficiaries.

Annexure
[see paragraph 3(2)]

| Entry Age (in years) | Superannuation Age (in years) | Member's monthly contribution (Rs) | Central Government's monthly contribution (Rs) | Total monthly contribution (Rs) |
|-------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
| 18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
| 19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
| 20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
| 21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
| 22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
| 23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
| 24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
| 25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
| 26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
| 27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
| 28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
| 29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
| 30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
| 31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
| 32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
| 33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
| 34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
| 35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
| 36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
| 37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
| 38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
| 39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
| 40 | 60 | 200 | 200 | 400 |

[F.No.M-21015/2/2019-RW]

AJAY TEWARI, Jt. Secy. and Director General (Labour Welfare)